



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122025-268786  
CG-DL-E-24122025-268786

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 832]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2025/पौष 3, 1947

No. 832]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025/PAUSHA 3, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 918(अ).— संविधान के अनुच्छेद 390 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा माल और सेवा कर अपील अधिकरण (समूह "ग" के कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2024 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ — (1) इन नियमों को माल और सेवा कर अपील अधिकरण (समूह "ग" के कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2025 कहा जाएगा,  
(2) ये नियम भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. माल और सेवा कर अपील अधिकरण (समूह "ग" के कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2024 की, अनुसूची में,—

- (क) क्रमांक 1 पर आशुलिपिक ग्रेड II के पद के सामने, कॉलम (7) में, "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में डिग्री; और" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: — "किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष; और"
- (ख) क्रमांक 2 पर उच्च श्रेणी लिपिक के पद के सामने, कॉलम (11) में, प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अंतर्गत, खंड (ख) का लोप कर दिया जाएगा।

[फा. सं. ए-11/1/2024-सीईएसटीएटी-डीओआर-भाग(1)]

विकाश कुमार, उप सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2025

**G.S.R. 918(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 390 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Group "C" Employees) Rules, 2024, namely: -

- 1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Group "C" Employees) Amendment Rules, 2025,
- (2) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2.** In the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Group "C" Employees) Rules, 2024, in the Schedule,—
- (a) against the post of Stenographer Grade II at serial 1, in column (7), for the words "Degree in any discipline from a recognised University or Institute; and", the following shall be substituted, namely: — "12<sup>th</sup> class pass or equivalent from a recognised Board or University; and"
- (b) against the post of Upper Division Clerk at serial 2, in column (11), under the heading Deputation, clause (b) shall be omitted.

[F. No. A-11/1/2024-CESTAT-DOR-Part(1)]

VIKASH KUMAR, Dy. Secy.